तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज,	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-6-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] कार रखने से पत्रावली दिनांक 30-7 को पेश हो।	
29-10-21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प आयु मे पेश हुई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये पटवार हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा.प. किये गये। प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

ीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

ा संख्या :-

--प्रार्थी

बनाम

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 29-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज़ु. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ा किया कि ग्राम..............पटवार हल्का..............तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं. 460, 466, 467, 459 कुल किता 04 ....हेक्टेयर 11 बिस्वा स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी यवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..............को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का ारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अत: इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.............. र हल्का..............तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 460, 466, 467, 459 ....कुल किता 04 रकबा..............हेक्टेयर 11 बिस्वा के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । गढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..............को 400/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । श्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर.............की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

लिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की र पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021